

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 458 / 2017 / 36 / 26-2 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 जून, 2017

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय :- पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को ई-पेमेंट आर्डर की व्यवस्था के माध्यम से प्रतिमाह पेंशन भुगतान की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्र0517-788 / 2017 / 36 / 26-2, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017
-0-

मध्यप्रदेश में "समग्र सामाजिक सुरक्षा" तथा "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर (EPO) के माध्यम से हितग्राही के बैंक/पोस्ट आफिस खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) से पेंशन वितरण की नवीन प्रक्रिया माह जून 2017 से प्रारम्भ की जा रही है।

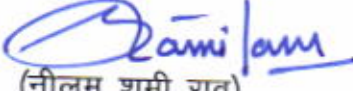
इस प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से हितग्राहियों को पेंशन भुगतान समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पोर्टल (Pension.samagra.gov.in) पर स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पेंशन वितरण की नवीन व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

- (i) पोर्टल पर लॉगइन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रत्येक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध हितग्राहियों की जानकारी को जांचे, एवं यह सुनिश्चित करें कि यह जानकारी त्रुटिरहित है।
- (ii) डैशबोर्ड पर त्रुटिरहित जानकारी की पुष्टि करने के उपरान्त पेंशन प्रपोजल, जो सिस्टम से जनरेट है, की पुष्टि करें। सामान्यतः पुष्टि के समय देखना चाहिये कि:-

- ❖ मृत अथवा पलायन किये गये व्यक्तियों के नाम हटावे।
- ❖ नये पेंशन स्वीकृति सम्मिलित हुई है अथवा नहीं उसको देख लें।

- ❖ यदि एरियर्स सम्मिलित किया गया है तो उसकी गणना ठीक है कि नहीं उसे देख लें।
 - ❖ नयी पेंशन स्वीकृत हितग्राही का नाम, खाता नम्बर, आई.एफ.सी. कोड की पुष्टि कर लें, संभव हो तो पासबुक से पुष्टि कर लें।
- (iii) यदि पेंशन प्रपोजल में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो अनुमोदन करने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन कर लें। ध्यान रखे कि आटोमेटिकली पेंशन प्रस्ताव अनुमोदन होने के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन किया जाना नहीं हो सकेगा।
 - (iv) पेंशन प्रपोजल स्वीकृत करने के उपरांत ई-पेमेंट आर्डर फाईल जनरेट करें, जिसके लिये डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस (कम्प्यूटर) में लगाना अनिवार्य होगा।
 - (v) View EPOs to Sign menu पर क्लिक कर पेंशन टाईप, वर्ष 2017-18, माह <जून> का चयन कर सर्च करें।
 - (vi) योजनावार सर्च करने के उपरांत Proceed to Sign EPO पर क्लिक करें जिससे कि उक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय निकाय कोई-पेंशन आर्डर दिखाई देगा।
 - (vii) ई-पेंशन आर्डर पर दर्ज Primary Verification Code and Secondary Verification Code, हितग्राहियों की संख्या व राशि की जानकारी को प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।
 - (viii) भुगतान हेतु डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस को कम्प्यूटर में लगाये।
 - (ix) ई-पेमेंट फाईल डिजिटली साईन करने हेतु Sign Digitally button पर क्लिक करें।
 - (x) सर्टिफिकेट का चयन कर पिन दर्ज करें।
 - (xi) Primary Verification Code and Secondary Verification Code, हितग्राहियों की संख्या व राशि की जानकारी को दर्ज करें।
 - (xii) ई-पेमेंट आर्डर की जानकारी से मिलान होने के उपरांत डिजिटली साईन ई-पेमेंट फाईल भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित हो जायेगी।
 - (xiii) प्रेषित फाईल में दर्ज बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एस.एस. कोड की जानकारी के आधार पर बैंक द्वारा पेंशन राशि का ई-पेमेंट सीधे हितग्राही के खाते में किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार जून 2017 माह के पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर जिले के सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. व जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर से मार्गदर्शन प्राप्त करें।


(नीलम शमी राव)

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

पृष्ठां. क्रमांक / 459 / 2017 / 36 / 26-2 /
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13 जून, 2017

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल
3. निज सचिव, मा. राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल.
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
7. आयुक्त, संस्थागत वित्त, भोपाल।
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश.
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. मुख्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मध्यप्रदेश की ओर स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
15. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. समस्त जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर मध्यप्रदेश की ओर स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण